



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236906
CG-DL-E-29062022-236906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2787]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2022/आषाढ़ 8, 1944

No. 2787]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2022/ASHADHA 8, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

का.आ. 2929(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1558 (अ) तारीख 28.03.2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 01.04.2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के GNPL खंड के मध्यायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : बिस्वानाथ			राज्य : असम				
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल			
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
हेलेम	हेलेम	मुकली गाँव	16	00	09	04	
			130	00	04	06	
			133	00	09	56	
			116	00	07	82	
			119	00	01	89	
			118	00	03	92	
			120	00	01	43	
			123	00	01	58	
हेलेम	कलंगपुर	खाटर बारी	121	00	04	86	
			129	00	02	36	
			117	00	06	80	
			132	00	12	80	
			134	00	09	00	
			115	00	11	00	
			148	00	03	60	
			147	00	12	53	
जिला : लखीमपुर			राज्य : असम				
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल			
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
बिहपुरिया	बिहपुरिया	नाहरणी	37	00	02	08	
			98	00	05	76	
			979	00	21	40	
नारायणपुर नारायणपुर			चराई दलोनी गांव	141	00	55	65

[फा. सं. एल -14014/58/2022- जीपी-II (ई-41982)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2022

S.O. 2929(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1558 (E) dated the 28.03.2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 01.04.2022 the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through GNPL section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the state of Assam, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Biswanath			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Helem	Helem	Mukoligaon	16	00	09	04
			130	00	04	06
			133	00	09	56
			116	00	07	82
			119	00	01	89
			118	00	03	92
			120	00	01	43
			123	00	01	58
Helem	Kalangpur	Khatarbari	121	00	04	86
			129	00	02	36
			117	00	06	80
			132	00	12	80
			134	00	09	00
			115	00	11	00
			148	00	03	60
			147	00	12	53

District : Lakhimpur			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bihpuria	Bihpuria	Naharani	37	00	02	08
			98	00	05	76
			979	00	21	40
Narayanpur	Narayanpur	Charai Dalani Gaon	141	00	55	65

[F. No. L-14014/58/2022-GP-II (E-41982)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.